रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2016/चैत्र 10, 1938
No. 116] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2016/ CHAITRA 10, 1938

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2016

फा.सं. वीकेएस/डीबी/03/एनजीपीएल.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2016 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008, में, निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामत:—

(क) विनियम 13 में, -

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा, नामत:-

"(1) प्राधिकृत कंपनी मासिक व तिमाही आधार पर प्राप्त लक्ष्यों, किए गए व्यय, चल रहे कार्यों, अनुमति का ब्यौरा तथा अन्य संगत सूचना से संबंधित लब्ध प्रगति रिपोर्ट का ब्यौरा अनुसूची ङ. पर दिए गए प्रपत्रों के तिमाही रिपोर्ट के प्रारुप ङ. -1ए-एनजीपीएल, ङ. -1बी—एनजीपीएल और मासिक रिपोर्ट के प्रारुप ङ. -2 —एनजीपीएल के अनुसार भर कर उपलब्ध कराएगी।";

(ii) उप-विनियम (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, नामत:-

"(5) बोर्ड को आंकड़े / जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कंपनी एक अधिकारी को पदांकित करेगी और उसकी सूचना बोर्ड को देगी। पदांकित अधिकारी में कोई बदलाव होने पर 7 कार्य दिवस के भीतर प्राधिकृत कंपनी द्वारा बोर्ड को सूचित किया जाएगा।";

विनियम में 14, उसके बाद (8) विनियम-, निम्नलिखित उपविनियम जोड़ा जाएगा-, नामत-:

"(9) अधिकृत कंपनी कमीशनिंग पश्चात् की, सूचना / आंकड़े अनुसूची डं. पर प्रस्तुत प्रारुप में तिमाही रिपोर्ट 1ए -एनजीपीएल, डं.1-बी -एनजीपीएल और मासिक रिपोर्ट के लिए डं-2 एनजीपीएल प्रारूपों के अनुसार भर कर प्रस्तुत करती रहेगी।";

(क) अनुसूची डं. के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा नामत:-

अनुसूची ड.

[विनियम 13 *(1)* एवं विनियम 14 *(9)* देखें]

क: आंकड़ों की तिमाही रिपोर्ट की प्रस्तुति प्राधिकृत कंपनी द्वारा यहां नीचे दर्शाए गए प्रारुपों में की जाएगी:-

(ii) सीजीडी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए प्रारुप डं. -1ए-एनजीपीएल : भौतिक मापदंड

(iii) सीजीडी पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए प्रारुप डं. -1बी-एनजीपीएल : वित्तीय मापदंड

ख :आंकड़ों की मासिक रिपोर्ट की प्रस्तुति प्राधिकृत कंपनी द्वारा यहां नीचे दर्शाए गए प्रारुपों में की जाएगी:-

(i) सेक्टर द्वारा आपूर्ति की गई प्राकृतिक गैस पर मासिक रिपोर्ट के लिए प्रारुप डं. -2-एनजीपीएल

ग: उपरोक्त प्रारुप में कंपनियों द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित सूचना एवं आंकड़ों का विश्लेषण बोर्ड द्वारा तुलना करके किया जाएगा-

(i) परियोजना की कमीशनिंग सहित कंपनी द्वारा की गई वास्तविक प्रगति बनाम

डीएफआर में चिन्हित, भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य; और

(ii) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन में परिवहन की गई प्राकृतिक गैस की वास्तविक मात्रा बनाम बिड में प्रतिबध्द मात्रा।

घ: प्रगति की मॉनीटरिंग बोर्ड द्वारा तिमाही आधार पर की जाएगी और कमी तथा अंतर, यदि कोई हो, की सूचना तुरंत समाधान हेतु कंपनी को भेजी जाएगी। सूचनावधि के भीतर वार्षिक तौर पर प्रतिबध्दताओं को पूरा करने में विलम्ब के मामले में अथवा बार-बार उल्लंघन करने के मामले में कंपनी को पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010, के विनियम 16 के तहत कंपनी विनिर्दिष्ट परिणाम भुगतने होंगें।

डं.: कंपनी संबंधित विनियमों के साथ प्रासंगिक आचरण कोड का अनुपालन करेगी ।
नोट कंपनी द्वारा अनुपालन के संबंध में और स्वयं की संतुष्ठि के लिए जो भी उचित हो आंकड़े अथवा सूचना प्राप्त करने का अधिकार बोर्ड के पास सर्वथा सुरक्षित है।

संलग्न प्रारुप:

अनुसूची–डं./प्रारुप-डं. 1ए-एनजीपीएल	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर तिमाही रिपोर्ट: भौतिक मापदंड			
1.कंपनी का नाम				
2. परियोजना का नाम				
3. समाप्य तिमाही रिपोर्ट			4.वर्ष	
5. प्राकृतिक गैस	6.व्यास-	7.तिमाही		8.संचयी (प्रारम्भ से)

पाइपलाइन की लंबाई (किलोमीटर में)	इंच में	लक्ष्य *	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
व्यास **-1**					
व्यास **-2**					
व्यास **-3**					
व्यास **-4**					

9.क्म्प्रेसर्स, मध्यवर्ती टर्मिनल्स एवं सुपुर्दगी टर्मिनल्स की संख्या	10. क्म्प्रेसर्स	11. मध्यवर्ती टर्मिनल्स	12. सुपुर्दगी टर्मिनल्स
विगत तिमाही तक			
तिमाही के दौरान जोड़ा गया			
तिमाही के अंत में कुल			

13. प्राकृतिक गैस का औसत हीट वैल्यू (एमबीटीयू प्रति एससीएम)	

14.परियोजना समापन स्थिति – वास्तविक बनाम अनुमोदित लक्ष्य(%)	15.तिमाही के लिए %*		16. संचयी	
	लक्ष्य*	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
(पहले से कमीशंड पाइपलाइंस के लिए लागू नहीं)				
मुख्य लाइन				
स्पर लाइन				

17.डिजाइन क्षमता (एमएमएससीएमडी)	
मौजुदा क्षमता	
तिमाही के दौरान जोड़ा गया	
तिमाही के अंत में कुल	

18. अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी (कृपया बॉक्स में लिखें)

19. *****जहां कहीं लागू हो लक्ष्य के आंकड़े दिए जा सकते हैं। तिमाही लक्ष्य वर्ष का **¼** लिया जाए।

रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन:

1)किसी कॉलम में आंकड़े शून्य होने पर कृपया '0' इंद्राज करें। (2) तिमाही समाप्ति से दिनों की अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत 30 करें| (3) निदेशक द्वारा अधिकृत महा प्रबंधक या उच्च रैंक के व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित व विधिवत मोहर सहित रिपोर्ट की स्कैंड प्रति कंपनी की रिपोर्ट अपलोड हेतु दिए गए निदेशों के अनुसार रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए।

नोट: कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली कार्यांवित करते समय आवश्यक हो सकता है कि कॉलम्स/पंक्तियों में मांगी गई जानकारियों को तकनीकी कारणों की वजह से पुन: व्यवस्थित करना पड़े।

अनुसूची–ङं./प्रारुप-ङं. 1बी- एनजीपीएल	प्राकृतिक गैस पाइपलाइन पर तिमाही रिपोर्ट: वित्तीय मापदंड				
1.कंपनी का नाम					
2.परियोजना का नाम					
3.स्वामित्व विवरण / नाम				शेयर (%)	
नाम				शेयर (%)	
नाम				शेयर (%)	
नाम				शेयर (%)	
4.समाप्य तिमाही के लिए रिपोर्ट		5.वर्ष			
सभी आंकड़े लाख रुपए में प्रस्तुत किए जाएं जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो					
पूंजीगत निवेश					
6.नियत परिसम्पत्तियां		12. अर्जित राजस्व			
अथ शेष		13. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ चार्ज्ड			
प्रत्यक्ष जोड़		ज़ोन	गैस ढुलाई	टैरिफ	कुल
पूंजीगत कार्य-प्रगति से हस्तांतरण			(एमएमबीटीयू)	(रु./एमएमबीटीयू)	टैरिफ
विलोपन/स्थानांतरण		ज़ोन			
अथ शेष		ज़ोन			
7. पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीपीड्ब्लुआईपी)		ज़ोन			
अथ शेष		ज़ोन			
परिवर्धन		ज़ोन			
नियत परिसम्पत्ति को हस्तांतरण		अन्य आय			
विलोपन/स्थानांतरण		कुल राजस्व			
अंत शेष		14.लाभ/हानि			
8.संचालन व्यय		कर से पूर्व लाभ			
बेचे गए माल की लागत		कर			
उपयोगिताएँ - बिजली और ईंधन					
वेतन		15.ऋण स्थिति: (क) मियादी ऋण			
मरम्मत और रख-रखाव		अथ शेष			
सा.प्रशासनिक व्यय		जोड़ा गया			
बीमा		चुकाया			

अन्य		अंत शेष			
कुल संचालन व्यय		औसत ब्याज दर **(%)**			

9. वित्तीय व्यय		(ख) कार्यशील पूंजीगत ऋण	
कार्यशील पूंजी पर ब्याज		अथ शेष	
आवधिक ऋण पर ब्याज		जोड़ा गया	
कुल वित्तीय व्यय		चुकाया	
10. ह्रास		निवल बदलाव	
11. कुल व्यय		औसत ब्याज दर **(%)**	
16. कोई अन्य सूचना (कृपया बॉक्स में लिखें)			
17. रिपोर्ट प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन:			
(1) किसी कॉलम में आंकड़े शून्य होने पर; कृपया '0' इंद्राज करें। (2) तिमाही समाप्ति से 60 दिनों की अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करें (3) निदेशक द्वारा अधिकृत महाप्रबंधक या उच्च रैंक के व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित व विधिवत मोहर सहित रिपोर्ट की स्कैंड प्रति कंपनी की रिपोर्ट अपलोड हेतु दिए गए निदेशों के अनुसार रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की तारीख से 10 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए ।. (4) वार्षिक रिपोर्ट हेतु समाप्य वर्ष (4थी तिमाही) एक सनदी लेखाकार द्वारा भली भांति प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करें। (5) कृपया सुनिश्चित करें कि इस वर्ष की चार तिमाहियों के लिए प्रस्तुत आंकड़ों की कुल राशि कंपनी के लेखा परीक्षित वार्षिक आंकड़ों के बराबर है।			
18. नोट: कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली कार्यांवित करते समय आवश्यक हो सकता है कि कॉलम्स/पंक्तियों में मांगी गई जानकारियों को तकनीकी कारणों की वजह से पुन: व्यवस्थित करना पड़े।			

अनुसूची–ङं./ प्रारुप-ङं.-2-एनजीपीएल	सेक्टर से प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर मासिक रिपोर्ट						
1.कंपनी का नाम							
2. पाइप लाइन का नाम							
3.लाइन की लम्बाई					4 डिजाइन क्षमता (एमएमएससीएमडी)		
5. माह के लिए रिपोर्ट					6. वर्ष		
7. माह	8.कुल प्राकृतिक गैस आपूर्ति (एमएमएससी एमडी)	9. सेक्टरवार प्राकृतिक गैस आपूर्ति ब्रेक-अप (एमएमएससीएमडी)					
		पावर	उर्वरक	नगर गैस	पेट्रो-रसायन व रिफाइनरीज़	स्पंज आयरन एवं स्टील	अन्य आंतरिक खपत

अप्रैल							
मई							
जून							
जुलाई							
अगस्त							
सितम्बर							
अक्टूबर							
नवम्बर							
दिसम्बर							
जनवरी							
फरवरी							
मार्च							
10.संचयी योग							
11. संचयी उपयोग %		12. अन्य कोई जानकारी (कृपया बॉक्स में लिखें)					
13.1)किसी कॉलम में माह के लिए आंकड़े शून्य होने पर; कृपया '0' इंद्राज करें (2) रिपोर्ट आगामी माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत की जा सके। (3) रिपोर्ट की स्कैंड प्रति हस्ताक्षरित व विधिवत मोहर सहित कंपनी की रिपोर्ट अपलोड हेतु दिए गए निदेशों के अनुसार रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर अपलोड की जानी चाहिए।							
14. नोट: कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली कार्यांवित करते समय आवश्यक हो सकता है कि कॉलम्स/ पंक्तियों में मांगी गई जानकारियों को तकनीकी कारणों की वजह से पुन: व्यवस्थित करना पड़े।							

उपमन्यु चटर्जी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./419]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 340(अ) दिनांक 06-05-2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 802(अ) दिनांक 19/11/2008, सा.का.नि. 769(अ) दिनांक 20-10-2009, सा.का.नि. 38(अ) दिनांक 18-01-2010, सा.का.नि. 480(अ) दिनांक 07-06-2010, सा.का.नि. 594 (अ) दिनांक 09-07-2010, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/48 दिनांक 17/02/2014, फा. सं. पीएन जीआरबी/रेग्युलेशंस/अमेंड-2014 दिनांक 08-08-2014, फा. सं. एल-मिस/VI/I/207 दिनांक 01-01-2015 तथा फा.सं.पीएनजीआरबी/रेग्युलेशंस/ अमेंड-2015 दिनांक 22-05-2015 के माध्यम से संशोधित किए गए।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2016

F. No. VKS/DB/03/NGPL.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement:

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008,-

(a) in regulation 13, -

(i) for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) a authorized entity shall provide, on a monthly and quarterly basis, a progress report detailing the clearances obtained, targets achieved, expenditure incurred, works-in-progress and other relevant information in the forms at Schedule E as per formats E-1A-NGPL, E-1B-NGPL for quarterly reports and E-2-NGPL for monthly report.";

(ii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be added, namely:—

"(5) a authorized entity shall designate an official of the entity for submitting data /information to the Board and intimate the same to the Board. Any change in the designated official shall be communicated to the Board by the authorized entity within 7 working days.";

(b) in regulation 14, after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be added, namely:—

"(9) a authorized entity shall continue to submit post commissioning information / data in the forms at Schedule E as per formats E-1A-NGPL, E-1B-NGPL for quarterly reports and E-2-NGPL for monthly report";

(c) for Schedule E, the following shall be substituted, namely:-

"Schedule E

[see regulation 13 (1) and regulation 14 (9)]

A: Quarterly submission of data by authorized entity in the following formats appended here below:-

(i) Format E-1A-NGPL for Quarterly Progress Report on CGD: Physical Parameters
(ii) Format E-1B-NGPL for Quarterly Progress Report on CGD: Financial Parameters

B: Monthly submission of data by authorized entity in the following format appended here below:-

(i) Format E-2-NGPL for Monthly Report on Supply of Natural Gas by Sector

C: The data and information required to be submitted by the entity in the above formats shall be analyzed by the Board by comparing the –

(i) actual progress made by the entity including commissioning of the project versus the physical and financial targets, identified in its DFR; and

(ii) actual volume of natural gas transported in the natural gas pipeline versus the volume committed in the bid.

D. Monitoring of the progress shall be taken up by the Board on a quarterly basis and the notice of deviations and shortfalls, if any, shall be sent to the entity on an annual basis for a prompt resolution. In case of any delay in meeting the yearly commitments within the notice period or in case of repeated violations, the entity may face the consequences specified under regulation 16 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008.

E: Entity shall comply with the relevant regulations for affiliate code of conduct.

Note: Board reserves the right to seek any information or data from the entity, as it may deem to be fit, to satisfy itself to the compliance by the entity.

Appended Formats:

Schedule-E / Format: E-1A-NGPL	Quarterly Progress Report on Natural Gas Pipelines: Physical Parameters				
1. Name of Entity					
2. Project Name					
3. Report for the Quarter ending			4. Year		
5. Natural Gas Pipeline Length (Kilometers)	6. Diameter in Inches	7. For Quarter		8. Cumulative (since inception)	
		Target*	Actual	Target	Actual
Diameter-1					
Diameter-2					
Diameter-3					
Diameter-4					
9. No. of Compressors, intermediate terminals & deliver terminals			10. Compressors	11. Intermediate Terminals	12. Delivery Terminals
Till last quarter					
Added during quarter					
Total at the end of quarter					
13. Average Heat Value of Natural Gas (MMBTU per SCM)					
14. Project completion status - Actual versus approved target (%)		15. For Quarter		16. Cumulative	
		Target%*	Actual %	Target %	Actual %
(Not Applicable for already commissioned pipelines)					
Main line					
Spur line					
17. Design Capacity (MMSCMD)					
Existing capacity					
Added during the quarter					
Total at the end of quarter					
18. Any other information (Please write in the box)					
* Target figures may be given wherever applicable. Quarterly target may be taken as 1/4th of annual target.					
19. Important guidelines for submitting the report:					
1) In case data is nil for any of the columns; please enter zero '0' (2) Report must be submitted within 30 days from the close of Quarter. (3) A scanned copy of the report stamped & signed by a person of General Manager or above rank, duly authorized by Director of the company, should be uploaded within 10 days from date of submitting the report online as per instructions given for uploading the report.					
14. Note: Please note that due to technical reasons, the information sought in columns /rows may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.					

Schedule-E / Format: E-1B-NGPL	Quarterly Progress Report on Natural Gas Pipelines: Financial Parameters				
1. Name of Entity					
2. Project Name					
3. Ownership Details	Name		Share (%)		
	Name		Share (%)		
	Name		Share (%)		
	Name		Share (%)		
4. Report for the Quarter ending			5. Year		
All figures to be submitted in Lacs Rupees unless specified otherwise					
Capital Investments					
6. Fixed Assets		12. Revenue Earned			
Opening balance		13. Natural Gas Pipeline Tariff Charged			
Direct additions		Zone	Gas Transported	Tariff	Total
Transfer from Capital Work-in-Progress			(MMBTU)	(Rs./MMBTU)	Tariff
Deletions		Zone-1			
Closing balance		Zone-2			
7. Capital Work-in-Progress (CWIP)		Zone-3			
Opening balance		Zone-4			
Additions		Zone-5			
Transfer to fixed assets		Other income			
Deletions / Transfers		Total Revenue			
Closing balance		14. Profit / Loss			
8. Operating Expenses		Profit before tax			
Cost of goods sold		Tax			
Utilities - Power and Fuel		Profit after tax			
Salaries		15. Loans Status: (a) Term Loans			
Repair and maintenance		Opening balance			
Gen. administrative expenses		Added			
Insurance		Repaid			
Others		Closing balance			
Total Operating Expenses		Average Interest Rate (%)			
9. Financial Expenses		(b) Working Capital Loans			
Interest on Working capital		Opening balance			
Interest on term loans		Added			
Total Financial Expenses		Repaid			
10. Depreciation		Nett change			
11. Total Expenses		Average Interest Rate (%)			
16. Any other information (Please write in the box)					
17. Important guidelines for submitting the report:					
1) In case data is nil for any of the columns; please enter zero '0' (2) Report must be submitted with in 60 days from the close of Quarter. (3) A scanned copy of the report stamped & signed by a person of General Manager or above rank, duly authorized by Director of the company, should be uploaded within 10 days from date of submitting the report online as per instructions given for uploading the report. (4) Annual report for the year-end (4th Quarter) should be submitted duly certified by a Chartered Accountant (CA) (5) Please ensure that sum total of figures submitted for four quarters of the year is equal to the company's audited annual data.					
18. Note: Please note that due to technical reasons, the information sought in columns / rows may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.					

Schedule-E / Format: E-2-NGPL		Monthly Report on Supply of Natural Gas by Sector	
1. Name of Entity			
2. Name of Pipeline			
3. Length of Pipeline		4. Design Capacity (MMSCMD)	
5. Report for the month of		6. Year	

7. Months	8. Total Natural Gas Supplied (MMSCMD)	9. Sector-wise Break up of Natural Gas Supplied (MMSCMD)					
		Power	Fertilizer	City Gas	PetroChem & Refineries	Sponge Iron & Steel	Others / Internal Consumption
April							
May							
June							
July							
August							
September							
October							
November							
December							
January							
February							
March							
10. Cumulative Total							
11. Cum. Utilization %		12. Any other information (Please write in the box)					

13. Important instructions for submitting report:
1) In case data is nil for any of the columns for the month, please enter zero '0' (2) Report must be submitted by 20th of the following month by the transporting entity (3) A scanned copy of the signed & stamped report must be uploaded within 7 days from the date of submitting report online as per instructions given for uploading the report.
14. Note: Please note that due to technical reasons, the information sought in columns / rows may have to be rearranged as required while implementing the online reporting system.

UPAMANYU CHATTERJEE, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./419]

Footnote: Principal regulations were notified vide GSR 340 (E) dated 06-05-2008 and amended vide:

i) GSR 802 (E) dated 19-11-2008

ii) GSR 769 (E) dated 20-10-2009

iii) GSR 38 (E) dated 18-01-2010

iv) GSR 480 (E) dated 07-06-2010

v) GSR 594 (E) dated 09-07-2010

vi) F. No. PNGRB/M (C)/48 dated 17-02-2014

vii) F. No. PNGRB/NGPL/REGULATIONS/AMEND-2014 dated 08/08/2014

viii) F. No. L-MISC/VI/I/2007 dated 01-01-2015

ix) F. No. PNGRB/NGPL/REGULATIONS/AMEND-2015 dated 22-05-2015

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.